झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0–116 वर्ष 2020

हंसराज साव उर्फ हंसराज गुप्ता .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के0 गुप्ता

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः– श्री सरधु महतो, ए0पी0पी0।

03/दिनांकः 11.06.2020

1. यह पुनरीक्षण, आपराधिक अपील (किशोर) सं0 48/2019 में पारित दिनांक 21.12.2019 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, गढ़वा ने भारतीय दण्ड संहिता की धाराएँ 376(डी) एवं 506, पॉकसो अधिनियम की धारा 6 और एस0सी0/एस0टी0 (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2) (वी–ए) के तहत पंजीकृत नगर अटारी महिला थाना काण्ड संख्या 19/2019 के संबंध में याचिकाकर्त्ता–किशोर की जमानत के लिए की गई प्रार्थना को खारिज कर दिया है।

2. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए0पी0पी0 को सुनने के बाद और प्राथमिकी एवं दंप्र0सं0 की धाराएँ 161 और 164 के तहत पीड़ित लड़की के बयान के अवलोकन पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आरोप लगाया है कि आरोपी रूपेश साव उसे जबरन उठा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया और याचिकाकर्त्ता और एक अन्य सह–अभियुक्त रूपेश साव के साथ थे और वहाँ खड़े थे, लेकिन जब पीड़ित ने रूपेश साव द्वारा बलात्कार करने पर शोर किया तो याचिकाकर्त्ता भाग गया।

यह देखते हुए कि बलात्कार करने का आरोप सह–अभियुक्त के खिलाफ है, याचिकाकर्त्ता को नगर उटारी महिला थाना काण्ड संख्या 19/2019 के संबंध में प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभूतियों के साथ 10,000/– रू0 (दस हजार रूपये) के जमानत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि जमानतदारों में से एक अपने करीबी रिश्तेदार या प्रकृति संरक्षक होना चाहिए जो वचन देंगे (i) याचिकाकर्त्ता का उचित पर्यवेक्षण और अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए, (ii) वह यह सुनिश्चित करेगा कि विधि के उल्लंघन के लिए अभिकथित या पाये जाने वाला किशोर किसी भी असामाजिक तत्व के सम्पर्क में नहीं आता है और, (iii) याचिकाकर्त्ता को परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जब भी बोर्ड द्वारा निर्देशित किया जाएगा। परिवीक्षा अधिकारी आवश्यक कार्रवाई हेतु पर्यवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यदि बोर्ड के समक्ष कोई प्रतिकूल टिप्पणी लाई जाती है, तो यह याचिकाकर्त्ता की जमानत को रद्द करने के प्रभाव के लिए आवश्यक आदेश पारित करेगा। जाँच के समापन तक याचिकाकर्त्ता बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा।

3. पूर्वोक्त दिशा–निर्देश के साथ पुनरीक्षण को एतद्द्वारा अनुज्ञात किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)